

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-16/2021 (2021/57)

दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. रामेश्वरलाल आत्मज भैरूलाल सुथार निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. अणछी पत्नि नानालाल सुथार निवासी विजेपुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बदामी पत्नि लेहरू जाट
2. माया पत्नि रतनलाल जाट
3. उदयराम आत्मज लच्छीराम जाट
4. पारसमल आत्मज लच्छीराम जाट
5. मांगीलाल आत्मज लच्छीराम जाट
6. शिवलाल आत्मज लच्छीराम जाट
7. शोभालाल आत्मज लच्छीराम जाट
8. मु0 जमना पत्नि तिलोक जाट
9. डालचन्द आत्मज तिलोक जाट
10. नोसर पुत्री तिलोक जाट
11. फेफीबाई पत्नि तिलोकचन्द जाट
12. रतनलाल आत्मज तिलोकचन्द जाट
13. छीतर आत्मज गोपीलाल जाट
14. माधवलाल आत्मज गोपीलाल जाट
15. रामलाल आत्मज गोपीलाल जाट
16. उदयराम आत्मज मांगीलाल गुसाई
17. कालु आत्मज छोगा गुसाई
18. गंगा पुत्री रूपा गुसाई
19. गोकल आत्मज चमना गुसाई
20. चन्द्री पत्नि मांगीलाल गुसाई
21. जगदीश आत्मज मांगीलाल गुसाई
22. नाथु आत्मज गोपी गुसाई
23. नाथु आत्मज हजारी गुसाई
24. पारसी पुत्री रूपा गुसाई
25. बद्रीलाल आत्मज हीरा गुसाई
26. बरदी पत्नि छोगा गुसाई
27. मदनलाल आत्मज हीरा गुसाई
28. मांगीबाई पुत्री छोगा गुसाई
29. मोहन आत्मज चमना गुसाई
30. रतनलाल आत्मज हीरा गुसाई
31. रूपा आत्मज हजारी गुसाई
32. लादी पुत्री हीरा गुसाई
33. शंकरी पुत्री हजारी गुसाई
34. शंभु आत्मज हजारी गुसाई
35. शिवलाल आत्मज छोगा गुसाई
36. कमला पुत्री मंगना जाट
37. चांदी पुत्री मंगना जाट



38. शिवलाल आत्मज मगना जाट

39. सुन्दर पुत्री मगना जाट

सर्व निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीगण— श्री हरिश चन्द्र टेलर

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-12.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 118 रकबा 0.52 हे0, आराजी संख्या 119 रकबा 1.26 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 6 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 22, 24 लगायत 30, 32 लगायत 39 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 6, 23, 31 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 118 रकबा 0.52 हे0, आराजी संख्या 119 रकबा 1.26 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 6 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 650/- ( छः सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 650/- ( छः सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.